<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>27/06/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आँचलिक कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ 26.06.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई में 12 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप 5 करोड़ रुपये के शेयर और प्रतिभूतियाँ फ्रीज की गईं, कई बैंक खाते और लॉकर फ्रीज किए गए और महंगे वाहन और महंगी घड़ियाँ जब्त की गईं।

ईडी ने सीबीआई, बीएसएंडएफबी, मुंबई द्वारा मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड), पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंक कॉन्सॉर्टियम से 975.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए दर्ज की गई शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके निदेशकों ने धोखाधड़ी वाले लेन-देन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऋण राशि को डायवर्ट करके बैंकों को नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। सीबीआई ने अभी तक मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है।

ईडी की जांच से पता चला है कि मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशकों ने कंपनी के कर्मचारियों के नाम पर विभिन्न फर्जी संस्थाओं को शामिल किया था, जिसका उद्देश्य ऐसी संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से धन की लेयरिंग करना था। प्रमोटर/निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के खातों में धन डायवर्ट करने के लिए संदिग्ध तृतीय-पक्ष लेनदेन किए गए थे। आवास प्रविष्टियां प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं को किए गए भुगतानों के बदले फर्जी खरीद दर्ज की गई थी।

तलाशी अभियान में कई संपत्ति दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेजों का पता चला। इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान, 140 से अधिक बैंक खाते, 5 लॉकर और 5 करोड़ रुपये के शेयर और प्रतिभूतियां भी मिलीं, जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा लेक्सस, मर्सिडीज बेंज सहित तीन हाई एंड कारें; रोलेक्स, हुब्लोट सहित कई महंगी घड़ियां; बड़ी संख्या में डिजिटल डिवाइस और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।